न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 03/2008

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा .. प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल
2. मदनलाल

} पुत्रान राजाराम पंजाबी निवासी दौसा जिला दौसा।

3. अशोक कुमार (मृतक) पुत्र राजाराम
   3/1 बीना बेवा अशोक कुमार
   3/2 अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार
   3/3 विजय कुमार पुत्र अशोक कुमार
   3/4 रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार
   3/5 अनिता पुत्री अशोक कुमार पत्नि रवि आनन्द
   समस्त जाति पंजाबी निवासी दौसा जिला दौसा

.. अप्रार्थीगण

रेफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः 1. श्री चंद्रशेखर शर्मा राजकीय अभिभाषक
2. श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 01.1.2020

संक्षिप्त में रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार दौसा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है कि कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा तहसील दौसा के 26 सहभागी पाकिस्तानी विस्थपित शरणार्थियों के जीवन निर्वाह हेतु दिनांक 10.6.1949 को ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 74 रकबा 13 बिस्वा, 75 रकबा 16 बिस्वा, 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, 92 रकबा 22 बीघा, 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 99 रकबा 9 बिस्वा, 100 रकबा 5 बिस्वा, 101 ला0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन किया गया था। जिसके आधार पर उक्त आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.6.49 को कमांक 423 एल/27.6.49 को पंजीयन हुआ। उक्त कृषि सहकारी संस्था कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में खातेदारी इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात उक्त कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के प्रभाव में नही रहने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 78 के अंतर्गत दिनांक 18.2.86 को अवसायन हो जाने के फलस्वरुप सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.96 के द्वारा उक्त पंजीयन निरस्त कर दिया गया। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार खतौनी संवत 2041 में विभाग द्वारा सहकारी समिति दलेलपुरा के नाम दर्ज भूमि में से 51.94 है0 भूमि कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम अंकित रखते हुए

शेष भूमि 87.86 है0 भूमि 17 व्यक्तियों के नाम अलग–2 खातेदारी में अंकित करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं था। उक्त सहकारी संस्था का अवसायन हो जाने एवं पंजीयन निरस्त हो जाने के कारण उक्त प्रश्नगत आराजी व्यक्तिगत खातेदारी में कानूनन अंकित नहीं की जा सकती थी तथा राज्य सरकार के हित में पुनर्ग्रहण की जानी चाहिए थी। इसी क्रम में उक्त 17 व्यक्तियों में अप्रार्थीगण के नाम खसरा नंबर ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा स्थित अप्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 223, 270, 277, 277/322 कुल किता 4 किता रकबा 5.93 है0 वाके ग्राम दलेलपुरा की खातेदारी अंकित करदी गई है, जो कि उक्त कार्यवाही पूर्णतः अवैध है। जिला कलेक्टर, दौसा के आदेश कमांकःआर–18–ए(324) 91/9778–94 दिनांक 12.10.01 के द्वारा सिवायचक घोषित कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये जाने पर नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 12.10.01 के अनुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज की गई है। ऐसी दशा में उक्त आराजी राजहित में पुनर्ग्रहित किये जाने योग्य है। साथ में आवंटन आदेश दिनांक 10.6.49 व कोपरेटिव सोसायटी पंजियन आदेश दिनांक 27.6.49 भूमि एकीकरण संवत 2018 व 2019 की खतौनी खाता संख्या 12 एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.96 व वर्तमान जमाबंदी आदि की प्रति उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा स्थित अप्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 223, 270, 277, 277/322 कुल किता 4 किता रकबा 5.93 है0 भूमि को राज्य सरकार में पुनर्ग्रहित किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि आवंटन आदेश दिनांक 10.6.49 के अनुसार प्रश्नगत भूमि सिवायचक भूमि थी, जिसका आवंटन भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त से विस्थापित होकर भारत आये शरणार्थी पंजाबी 26 कृषकगण परिवार के नाम पृथक–पृथक किया गया था। आवंटीगण आवंटित भूमि पर काश्त करते रहे व आराजीयात की सिचांई हेतु तत्समय जमवारामगढ बॉध से निकलने वाली नहर से भी होती थी तथा उक्त भूमि पर काश्तकारगण ने कूप भी बनवा लिये थे। आवंटी काश्तकारगण द्वारा भूमि की जुताई बुवाई के लिए सरकार से ऋण लेने हेतु कृषि सहकारी समिति का गठन कर लिया। जिसके कारण भूमि की खातेदारी कृषि सहकारी समिति के नाम अंकित कर दी गई जबकि भू आवंटन पृथक पृथक नामों से हुआ, खातेदारी पृथक पृथक अंकित हुई तथा काश्त भी पृथक पृथक करते थे। आवंटन आदेश आवंटियों को व्यक्तिगत नाम से किया गया था न कि कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम से उक्त आवंटन किया गया था। उक्त आदेश को देखे जाने से भी उक्त आवंटन आदेश व्यक्तिगत व्यक्तियों के नाम से प्रश्नगत आराजी आवंटित की गई थी न कि कोपरेटिव सोसायटी के नाम से। यदि पूर्व आवंटियों द्वारा उक्त आराजी के उत्थान हेतु कोई कोपरेटिव सोसायटी की संरचना करली गई तथा कालान्तर में उक्त कोपरेटिव सोसायटी अस्तित्व में नही रहती है तो उक्त आराजी पूर्व की भॉति आवंटियों के नाम व्यक्तिशः दर्ज होनी चाहिए। मात्र कोपरेटिव सोसायटी बना दिये जाने मात्र व आराजी पर राजस्थान सरकार के हित निहित नहीं हो सकते है। बिद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि पूर्व में इन्हीं आवंटियों में से राजस्थान सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.98 उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी राजस्थान सरकार तहसीलदार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत सिविल रिट याचिका नंबर 4709/2001 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.01 के समर्थन में कहा गया कि उक्त निर्णय फाइनल हो गये है। तथा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.6.49 पूर्व आवंटियों के व्यक्तिगत नाम से था न कि कोपरेटिव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सोसायटी के नाम से तो उक्त निर्णय उक्त प्रश्नगत आराजी के सम्पूर्ण खातेदारान पर चस्पा एवं प्रभावी होता है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27.9.01 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है उक्त सम्पूर्ण तथ्य छिपाते हुए राजस्थान सरकार द्वारा उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण खारिज किये जाने योग्य होने से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेजात भी प्रस्तुत की गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तथा राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रकरण के अन्य समानान्तर प्रकरणों में पारित आदेशों एवं निर्णयों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से जवाब लिखित बहस प्रस्तुत भी प्रस्तुत की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे यह प्रकट होता है कि तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 10.6.1949(प्रदर्श–1) की पालना में शरणार्थी परिवार 26 (प्रदर्श–2) को तत्कालीन ऑफिस कानूनगो एवं पटवारी कस्बा दौसा द्वारा ग्राम दलेलपुरा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 74 रकबा 13 बिस्वा, 75 रकबा 16 बिस्वा, 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, 92 रकबा 22 बीघा, 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 99 रकबा 9 बिस्वा, 100 रकबा 5 बिस्वा, 101 ला0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का सुपुर्दगीनामा (प्रदर्श–3) तैयार किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 16.6.1949 को विस्थापित परिवारों को सम्भला दिया गया था। सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स में उल्लेख किया गया है कि आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.6.1949 को पंजीयन हुआ है जिसका पंजीयन क्रमांक 423 एल दिनांक 27.6.1949(प्रदर्श–4) है। अर्थात प्रार्थी सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स से यह सिद्ध होता है कि आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है तत्पश्चात सोसायटी का गठन हुआ है। दिनांक 16.6.1949 सुपुर्दगीनाम में अप्रार्थीगण के पूर्वज राजाराम पुत्र ज्वालासहाय को कब्जा सम्भलाने का उल्लेख है। अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा खातेदारी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र (प्रदर्श–5) प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में सोसायटी बनाने एवं ऋण जमा करवा दिया जाना व्यक्त करते हुए खातेदारी दिये जाने का निवेदन किया है। तत्पश्चात भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 30.11.1981(प्रदर्श–6) के अनुसार उपरोक्त आवंटित भूमि कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा में से 4 अपील सं0 90–93/1981 स्वीकार कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। तत्पश्चात भू प्रबंध अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सैटलमेन्ट कमिश्नर के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 10.1.1990 को रेफरेन्स के आदेश दिये गये। जिसका उल्लेख माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक20.4.98(प्रदर्श–7) में किया गया है। जो माननीय राजस्व मण्डल के रेफरेन्स सं0 741, 742, 743, 744/1997 है। उक्त रेफरेन्स में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 20.4.1998 के अनुसार सैटलमेन्ट कमिश्नर के निर्णय को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय में आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है बाद में सहकारी समिति का गठन होना व्यक्त किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध सहायक कलक्टर दौसा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट एस.बी.सिविल पिटिशन नं0 4709/2001 प्रस्तुत की गई। उक्त रिट को दिनांक 27.9.2001 को खारिज कर दिया गया। उक्त एस.बी. के निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डबल बैन्च में अपील नं 315/2004 (प्रदर्श–9) प्रस्तुत की गई जिसको दिनांक 21.9.2005 को खारिज कर दिया गया। पूर्व इसी प्रकरण के समानान्तर अन्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिये सहायक कलक्टर दौसा की ओर से एक रिट और प्रस्तुत की गई जो रिट पिटिशन नं0 2025/1999(प्रदर्श–10) है जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय में विचाराधीन अन्य रेफरेन्स सं0 22/2008 दिनांक 20.10.2015(प्रदर्श–11) को खारिज किया गया है। कार्यालय जिला कलक्टर दौसा की ओर से अन्य समानान्तरण प्रकरण मेंन्यायालय के निर्णय की पालना के संबंध में तहसीलदार दौसा को पत्रांक आर18ए(324)91/2795 दिनांक 24.6.2014 (प्रदर्श–12)द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसी क्रम में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 की पालना के संबंध में राजकीय अधिवक्ता द्वारा विधिक राय (प्रदर्श–13) ली गई। उक्त राय में अन्य समानान्तरण प्रकरण में निर्णय की पालना के लिये लिखा गया है। अन्य समानान्तर प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रेफरेन्स सं0 एल.आर/5326/2015/दौसा निर्णय दिनांक 4.12.2015(प्रदर्श–14) द्वारा खारिज किया गया है। तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा अन्य समानान्तर प्रकरण में पत्र क्रमांक आर18ए(324)/91/892 दिनांक 15.3.2014(प्रदर्श–15) द्वारा मार्गदर्शन मांगने पर राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–7 के आदेश क्रमांक प. 3(82)राज–7/2014 दिनांक 16.6.2014(प्रदर्श–16) एवं राजस्थान सरकार विधि विभाग ग्रुप–6 के आदेश क्रमांक प.2(i)(98)विधि/6/2014 दिनांक 06.6.2014(प्रदर्श–16) के अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 को विधिसम्मत माना है एवं न्यायालय की पालना करने के निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–17 पर प्रस्तुत रेफरेन्स उनवानी सरकार बनाम मुकेश वगैरा के समरूप होना प्रमाणित है। अन्य समानान्तर प्रकरण उनवानी किशोरीलाल वगैरा बनाम सरकार (प्रदर्श–18) में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खातेदारी अधिकार देने के आदेश प्रदान किये हैं। इसी क्रम में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रेफरेन्स सं0 एल.एआर./5629/2018/दौसा सरकार बनाम कॉपरेटिव सोसायटी निर्णय दिनांक 24.5.2019(प्रदर्श–19) अन्य समानान्तर प्रकरण में रेफरेन्स खारिज किया गया है। इस प्रकार राजकीय अधिवक्ता की लिखित बहस एवं उपरोक्त समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर विचाराधीन प्रकरण समरूप प्रकृति का होने एवं उपरोक्त समस्त निर्णयों एवं आदेशों से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार दौसा की ओर से आराजी भूमि खसरा नम्बर खसरा नंबर 223, 270, 277, 277/322 कुल किता 4 कुल रकबा 5.93 है0 वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा जिला दौसा के सम्बन्ध में प्रस्तुत रेफरेन्स सं0 03/2008 समरूप प्रकृति का होने के कारण एवं उपरोक्त वर्णित समस्त निर्णयों एवं आदेशों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 01 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official